भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3433
05 अगस्त, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष चिकित्सा प्रणाली

3433. श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का आयुष क्षेत्र में मानव संसाधन बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का आयुष में अनुसंधान और विकास को सुदृढ़ करने का विचार है और यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का आयुष के अंतर्गत और अधिक अनुसंधान केंद्र शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सरकार की जानकारी में है कि राज्य सरकारें आधुनिक दवाओं की तुलना में आयुष को महत्व नहीं दे रही हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का आयुष के अंतर्गत और अधिक कॉलेज शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(च) आयुष दवाओं के प्रभाव और दुष्प्रभावों के संबंध में अध्ययन करने की पहल का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): चूंकि जन-स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए आयुष में मानव संसाधन बढ़ाने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है। तथापि, भारत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों(पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना की कार्यनीति अपनाई है, जिससे रोगियों को एक ही स्थान पर विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के विकल्प मिल सके। आयुष चिकित्सकों/पैरामेडिक्स की नियुक्ति और उनके प्रशिक्षण को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा सहायता दी जाती है, जबकि आयुष अवसंरचना, उपस्कर/फर्नीचर और दवाइयों के लिए सहायता आयुष मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के अंतर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार दी जाती है। एनएचएम की प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के अनुसार, 31.03.2022 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत तैनात आयुष चिकित्सकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **संलग्नक-I** में दी गई है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, 50/30/10 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना, राज्य सरकारों के विशिष्ट एकल आयुष अस्पतालों और आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों के उन्नयन हेतु घटकों में अन्य बातों के साथ-साथ आयुष चिकित्सकों की संविदा आधार पर तैनाती का प्रावधान है। इस संबंध में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से अपने प्रस्ताव भेजने होते हैं। समेकित आयुष अस्पतालों, आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों के घटकों के अंतर्गत तैनाती के लिए अनुमोदित आयुष चिकित्सकों की संख्या और आयुष अस्पतालों के उन्नयन की स्थिति क्रमशः **संलग्नक-II, संलग्नक-III** और **संलग्नक-IV** में दी गई है।

(ख): आयुष चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान हेतु आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में 05 अनुसंधान परिषदें अर्थात् केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस), केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम), केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस), केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) और केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन) हैं जो विभिन्न अनुसंधान गतिविधियां चलाती हैं। अनुसंधान गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए, विभिन्न उपाय किए गए हैं जैसे कि नमस्ते पोर्टल, अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली की शुरूआत, एक आयुष अनुसंधान पोर्टल का रखरखाव जिसमें सभी आयुष पद्धतियों से संबंधित सभी प्रकाशित अनुसंधान जानकारी, समस्त चिकित्साभ्यासियों, संबद्ध और पूरक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों, शोधकर्ताओं, स्वास्थ्य देखभाल छात्रों को शोध दिखाने एवं उनकी सूचना के लिए और जनता के लिए उनके हितार्थ अपलोड की जाती है।

(ग): जी नहीं।

(घ): जी नहीं।

(ङ): चूंकि जन-स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए नए सरकारी आयुष कॉलेजों की स्थापना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है। तथापि, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) में शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से नए आयुर्वेद शैक्षिक संस्थानों की स्थापना के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे **संलग्नक-V** में दिए गए हैं।

(च): केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, शास्त्रीय आयुर्वेदिक फार्मूलेशनों के सत्यापन और नई आयुर्वेदक औषधि के विकास के लिए नैदानिक परीक्षण कर रही है जिसके लिए वह एएसयू औषधों हेतु उत्तम नैदानिक पद्धतियों के दिशा-निर्देशों (जीसीपी-एएसयू), जैव-चिकित्सा अनुसंधान हेतु नैतिक दिशानिर्देशों (आईसीएमआर), पारंपरिक चिकित्सा हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देशों आदि जैसे प्रचलित दिशा-निर्देशों को आवश्यकतानुसार अपना रही है। इसके अलावा, भारत भर में सीसीआरएएस-ओपीडी में चयनित 11 रसौषधि में संभावित सुरक्षा मुद्दों और दवा रुझानों के प्रलेखन के लिए एक प्रोस्पेक्टिव ओपन लेबल ऑब्जर्वेशनल अध्ययन किया गया है।

*****

संलग्नक-I

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत तैनात आयुष चिकित्सकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र. सं.	राज्य/विवरण	आयुष चिकित्सकों की संख्या
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	33
2.	लक्षद्वीप	12
3.	अरुणाचल प्रदेश	116
4.	असम	722
5.	मणिपुर	174
6.	मेघालय	220
7.	मिजोरम	60
8.	नागालैंड	50
9.	सिक्किम	10
10.	त्रिपुरा	154
11.	हिमाचल प्रदेश	241
12.	जम्मू और कश्मीर	872
13.	उत्तराखंड	384
14.	बिहार	2564
15.	छत्तीसगढ़	609
16.	झारखंड	559
17.	मध्य प्रदेश	1447
18.	ओडिशा	2204
19.	राजस्थान	1353
20.	उत्तर प्रदेश	4065
21.	आंध्र प्रदेश	113
22.	गोवा	82
23.	गुजरात	2400
24.	हरियाणा	631
25.	कर्नाटक	1475
26.	केरल	742
27.	महाराष्ट्र	3093
28.	पंजाब	556
29.	तमिलनाडु	418
30.	तेलंगाना	584
31.	पश्चिम बंगाल	1855
32.	चंडीगढ़	28
33.	दादर एवं नगर हवेली और दमन व दीव	20
34.	लद्दाख	20
35.	दिल्ली	0
36.	पुडुचेरी	44
	कुल	**27910**

संलग्नक-II

राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत 50 बिस्तरों तक के एकीकृत आयुष अस्पतालों में तैनाती के लिए अनुमोदित आयुष चिकित्सकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य / विवरण	आयुष चिकित्सकों की संख्या
1.	लक्षद्वीप	7
2.	मणिपुर	13
3.	मिजोरम	7
4.	नागालैंड	13
5.	सिक्किम	5
6.	त्रिपुरा	10
7.	उत्तर प्रदेश	272
8.	तमिलनाडु	14
9.	पश्चिम बंगाल	12
	कुल	**353**

संलग्नक-III

राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत आयुष अस्पतालों में तैनाती के लिए अनुमोदित आयुष चिकित्सकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य / विवरण	आयुष चिकित्सकों की संख्या
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2
2.	कर्नाटक	128
3.	केरल	189
	कुल	**320**

संलग्नक-IV

2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के तहत तैनाती के लिए अनुमोदित चिकित्सकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	चिकित्सकों की संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	6
2	आंध्र प्रदेश	0
3	अरुणाचल प्रदेश	32
4	असम	49
5	बिहार	63
6	चंडीगढ़	1
7	छत्तीसगढ़	0
8	गोवा	30
9	गुजरात	0
10	हरियाणा	138
11	हिमाचल प्रदेश	0
12	जम्मू और कश्मीर	0
13	झारखंड	0
14	कर्नाटक	0
15	केरल	0
16	लद्दाख	14
17	लक्षद्वीप	0
18	मध्य प्रदेश	337
19	महाराष्ट्र	0
20	मणिपुर	16
21	मेघालय	35
22	मिजोरम	38
23	नागालैंड	44
24	ओडिशा	0
25	पुडुचेरी	0
26	पंजाब	0
27	राजस्थान	0
28	सिक्किम	18
29	तमिलनाडु	0
30	तेलंगाना	0
31	त्रिपुरा	39
32	उत्तर प्रदेश	0
33	उत्तराखंड	0
34	पश्चिम बंगाल	0
	कुल	**860**

संलग्नक- V

शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए नए आयुष राजकीय मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के प्रस्ताव

क्र.सं.	राज्य	आयुर्वेद कॉलेज का नाम	यूनानी कॉलेज का नाम	सिद्ध कॉलेज का नाम	सोवा रिग्पा कॉलेज का नाम	होम्योपैथी कॉलेज का नाम
1	महाराष्ट्र	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज और अस्पताल, बारामती, पोस्ट-मेडड, एस नंबर-414/1, मोरगांव रोड, बारामती, जिला पुणे-413102, महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	राजस्थान	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, वैद दादूदयाल जोशी राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय, तलवंडी, कोटा-324005, राजस्थान				
3	राजस्थान	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, श्री वृषभानु कुमारी (एसवीके) बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सामने, अटलबंद, भरतपुर-321001, राजस्थान				
4	राजस्थान	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, केकरी, अजमेर-305404, राजस्थान				
5	राजस्थान	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, सरकारी जिला चिकित्सालय, बांद्रा बास, बीकानेर-334001, राजस्थान				
6	राजस्थान	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, प्रताप नगर, जयपुर-302033, राजस्थान				
7	राजस्थान	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जिला आयुर्वेद चिकित्सालय, रानीसती रोड, सीकर-332001, राजस्थान				
8	हरियाणा	बाबा खेतनाथ राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल, ग्राम-पतिकारा, नारनौल, जिला- महेन्द्रगढ़				
9	बिहार	राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मोहनपुर, दरभंगा, बिहार-846007				